

2025/840

निर्णय  
17.10.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
भीमराज बनाम सुन्दरगर आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 56) वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
14.10.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17.10.2025 को पेश हो। ~	
16.10.2025	वकील प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पत्र मिसल पत्रा पेश करते पर पत्रावली को पत्रा में लिखा गया कुलार फरिटेन उपस्थित। जलिये पं. 1, 2 ने जलिये वकील की कबल वमा उपस्थित छा। अर ककाल काय पेश किया जिसे शामिल करील किया गया। जवाब से पत्र हुआ। पत्रावली वास्ते कलसे करील तार 17.10.2025 को पेश हो। ~	
17.10.2025	कुलार फरिटेन उपस्थित। कसल्य करे करवाना नही पावरे हो वहस सुनी गरी पत्रावली को अकलोअथ किरागामा पत्रावली पर उपलव्ध रिपोर्ट जारी अ पदी प्रतिवादी के कसली सहकरी के छा। अर पर काद नही डिडी किया जाता है। अर्ज किरम सहिठ निर्णय आलग से लिखाया जाकर 21.10.2025 डिडी किया जाये। पत्रावली नम्बर से काग सी पाकर काड लकीव तकरील जाणा हाकिल पकल हो। ~	

